कार्यालय–अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी, वन संरक्षण,
इन्दिरानगर फॉरेस्ट कालोनी, उत्तराखण्ड, देहरादून।
E-mail :nodalofficerddn@gmail.com Phone/ Fax: 0135-2767611

संख्याः– 2453 / FP/UK/OFC/36800/2018 देहरादूनः दिनांकः 12 मई, 2020

सेवा में,

सचिव,
वन अनुभाग–3,
उत्तराखण्ड शासन।

विषयः– जनपद–देहरादून एवं टिहरी गढ़वाल में मसूरी वन प्रभाग की कैम्पटी, भद्रीगाड़, मसूरी एवं जौनपुर रेंज अन्तर्गत एन0एच0–507 यमुनापुल–खरसौन–क्यारी माईलस्टोन–44 से माईलस्टोल–54 (10.00 किमी0), यमुना–मसूरी बैण्ड जीरो प्वाईन्ट (21.00 किमी0), यमुनापुल–सुमनक्यारी (11.20 किमी0) एवं एच0एस0 08 मसेरी चम्बा मार्ग से मसूरी–धनोल्टी– (34.00 किमी0) कुल 76.20 किमी0 सडक/ मोटर मार्ग के किनारे ओ0एफ0सी0 लाईन बिछाने हेतु 0.552 है0 वन भूमि का गैर वानिकी कार्यो हेतु रिलाइंस जियों इन्फोकॉम लि0 को अनुमति दिये जाने के सम्बन्ध में।**(Online proposal no- FP/UK/OFC/36800/2018)**

महोदय,

उपरोक्त विषयक परियोजना हेतु प्रबन्धक, रिलाइंस जियों इन्फोकॉम लि0, देहरादून के द्वारा वन संरक्षण अधिनियम, 1980 के अन्तर्गत **0.552** है0 वन भूमि का गैर वानिकी कार्यो हेतु वन भूमि को अनुममि दिये जाने का प्रस्ताव ऑनलाईन प्रेषित किया गया है। प्रस्ताव पर राजस्व विभाग/प्रभागीय वनाधिकारी चकराता वन प्रभाग, चकराता एवं वन संरक्षक, यमुना वृत्त, देहरादून द्वारा भी संस्तुति/सहमति प्रदान की गयी है। यह भी स्पष्ट उल्लेख किया गया है कि उक्त वन भूमि National park/Santuary/Tiger Reserve का हिस्सा नही है।

भारत सरकार द्वारा मार्च 2019 में निर्गत मार्ग–निर्देशिका के प्रस्तर 4.1 एवं 4.2 में दिये गये निर्देशानुसार राज्य सरकार को ओ0एफ0सी0 के प्रकरणों में वन भूमि हस्तान्तरण की स्वीकृति प्रदान करने हेतु अधिकृत किया गया है, बशर्ते इस हेतु उपयोग में लाये जा रहे वन भूमि का RoW पूर्व में स्वीकृत किया गया हो। इस प्रकरण में प्रभागीय वनाधिकारी, मसूरी वन प्रभाग, मसूरी के पत्रांक 3815/12–1(2) दिनांक 19–03–2020 (**प्रति संलग्न**) के द्वारा सूचित किया गया है कि प्रश्नगत मोटर मार्ग का निर्माण वन संरक्षण अधिनियम 1980 के लागू होने की तिथी से पूर्व का है।

अतः प्रस्ताव के ऑनलाईन प्रपत्र भाग–**I** से भाग–**III** एवं अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी द्वारा भरे जाने वाले प्रपत्र भाग–**IV** पर संस्तुति सहित संलग्न कर इस आशय से प्रेषित किये जा रहे हैं कि कृपया प्रस्ताव पर राज्य सरकार की सैद्धान्तिक स्वीकृति निर्गत करने का कष्ट करें।

संलग्न–यथोपरि।

भवदीय,

(डी0जे0के0 शर्मा) 11/5/20
अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी

संख्या / FP/UK/OFC/36800/2018 तद्दिनांकित।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. अपर प्रमुख वन संरक्षक भारत सरकार पर्यावरण, वन एंव जलवायु परिवर्तन मंत्रालय क्षेत्रीय कार्यालय, (उत्तर–मध्य क्षेत्र), 25 सुभाष रोड़, देहरादून।
2. प्रमुख वन संरक्षक, उत्तराखण्ड।
3. मुख्य वन संरक्षक, गढवाल, पौड़ी।
4. वन संरक्षक, यमुना वृत्त, देहरादून।
5. जिलाधिकारी, जनपद–देहरादून एवं टिहरी गढ़वाल।
6. प्रभागीय वनाधिकारी मसूरी वन प्रभाग, मसूरी।
7. प्रबन्धक, रिलाइंस जियो इन्फोकॉम लि0, प्लाट नं0–32, आई0टी0 पार्क, शहस्त्रधारा रोड, देहरादून।

(डी0जे0के0 शर्मा)
अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी

भाग–IV

(नोडल अधिकारी अथवा प्रधान मुख्य वन संरक्षक अथवा अध्यक्ष, वन विभाग द्वारा भरे जाने के लिये)

परियोजना का नामः– जनपद–देहरादून एवं टिहरी गढ़वाल में मसूरी वन प्रभाग की कैम्पटी, भद्रीगाड़, मसूरी एवं जौनपुर रेंज अन्तर्गत एन0एच0–507 यमुनापुल–खरसौन–क्यारी माईलस्टोन–44 से माईलस्टोल–54 (10.00 किमी0), यमुना–मसूरी बैण्ड जीरो प्वाईन्ट (21.00 किमी0), यमुनापुल–सुमनक्यारी (11.20 किमी0) एवं एच0एस0 08 मसेरी चम्बा मार्ग से मसूरी–धनोल्टी– (34.00 किमी0) कुल 76.20 किमी0 सडक/ मोटर मार्ग के किनारे ओ0एफ0सी0 लाईन बिछाने हेतु 0.552 है0 वन भूमि का गैर वानिकी कार्यो हेतु रिलाइंस जियों इन्फोकॉम लि0 को अनुमति दिये जाने के सम्बन्ध में।
**(Online proposal no- FP/UK/OFC/36800/2018)**

देहरादून एवं टिहरी गढ़वाल में मसूरी वन प्रभाग की कैम्पटी, भद्रीगाड़, मसूरी एवं जौनपुर रेंज अन्तर्गत एन0एच0–507 यमुनापुल–खरसौन–क्यारी माईलस्टोन–44 से माईलस्टोल–54 (10.00 किमी0), यमुना–मसूरी बैण्ड जीरो प्वाईन्ट (21.00 किमी0), यमुनापुल–सुमनक्यारी (11.20 किमी0) एवं एच0एस0 08 मसूरी चम्बा मार्ग से मसूरी–धनोल्टी– (34.00 किमी0) कुल 76.20 किमी0 सडक/ मोटर मार्ग के किनारे ओ0एफ0सी0 लाईन बिछाने हेतु मसूरी वन प्रभाग के अन्तर्गत 0.34 है0 आरक्षित वन भूमि एवं 0.212 हे0 सिविल सोयम भूमि अर्थात कुल 0.552 हे0 का हस्तान्तरण निहित है। प्रस्ताव पर राजस्व विभाग, जनपद–देहरादून एवं टिहरी गढ़वाल/प्रभागीय वनाधिकारी मसूरी वन प्रभाग, मसूरी एवं वन संरक्षक, यमुना वृत्त, देहरादून द्वारा भी प्रस्ताव पर सहमति प्रदान की गयी है। यह भी स्पष्ट उल्लेख किया गया है कि उक्त वन भूमि National park/Santuary/Tiger Reserve का हिस्सा नही है।

भारत सरकार द्वारा मार्च 2019 में निर्गत मार्ग निर्देशिका के परस्तर 4.1 एवं 4.2 में दिये गये दिशा निर्देश के कम में राज्य सरकार इस वन भूमि हस्तान्तरण हेतु अधिकृत है।

अतः प्रस्ताव पर वन संरक्षण अधिनियम, 1980 के अन्तर्गत राज्य सरकार, स्तर से सैद्धान्तिक स्वीकृति प्रदान करने की संस्तुति की जाती है।

नाम व पदनामः
हस्ताक्षरः

(डी0जे0के0 शर्मा)
अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी

सरकारी मोहरः (D. J. K. Sharma)
APCCF & NODAL OFFICER (FC)
(UTTARAKHAND, DEHRADUN)

तिथि : 11 / 05 / 2020
स्थान : देहरादून